प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं. 60/2024)

तत्काल प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक्सेस प्रदाताओं के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (2018 का 6) के अंतर्गत व्हाइटलिस्टिंग निर्देश के लिए समय सीमा बढ़ा दी है।

नई दिल्ली, 30 अगस्त 2024 - एक्सेस प्रदाताओं द्वारा अतिरिक्त समय के अनुरोध के जवाब में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने एक्सेस प्रदाताओं को यूआरएल/ एपीके/ ओटीटी लिंक की व्हाइटलिस्टिंग के बारे में जारी अपने 20 अगस्त, 2024 के निर्देश का पालन करने के लिए एक महीने का विस्तार दिया है।

संशोधित निर्देश में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी एक्सेस प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना है कि यूआरएल/ एपीके/ ओटीटी लिंक वाले ट्रैफ़िक, जो श्वेतसूची में सूचीबद्ध नहीं हैं, को 1 अक्टूबर, 2024 से अनुमति नहीं दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट्स के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना है, जिससे अधिक सुरक्षित और कुशल दूरसंचार ईकोसिस्टम सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, एक्सेस प्रदाताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए, कॉल बैक नंबर लागू करने की संशोधित समय सीमा अलग से तय की जाएगी।

भादूविप्रा ने सभी एक्सेस प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि वे प्राधिकरण को इस निर्देश के जारी होने के पंद्रह दिनों के भीतर कार्रवाई की स्थिति पर एक अद्यतन रिपोर्ट और तीस दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भादूविप्रा